राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–448 / 2006)

सुरेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

सचिव, गृह मंत्रालय, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.07.2023

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री पी.सी. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अधिकरण द्वारा दिनांक 18.02.2022 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया था :–

   अपीलार्थी के अभिभाषक उपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुन आदेश सुरक्षित रखा गया था। आदेश लिखाने से पूर्व राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के मृत्यु–प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

   अतः न्यायहित में अपील में पुनः बहस सुनना उचित समझा जाता है।

2. अतः उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता की माजूदगी में यह तथ्य रिकॉर्ड पर आये थे कि अपीलार्थी की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अपीलार्थी की ओर से विधिक प्रतिनिधि तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी की मृत्यु का प्रमाण पत्र पत्रावली पर है, जिसमें मृत्यु की दिनांक 19.01.2019 अंकित है। अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण यह अपील Abate हो चुकी है।
3. अतः अपील Abate हो जाने के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)